विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 अक्तूबर, 2010

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–30/2010–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1–10–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 6) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

———————

2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

1. संक्षिप्त नाम.–इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।

2. धारा 4–क का संशोधन.–हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का 16) की धारा 4–क में ''विक्रय करने या प्रेषण कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने'' शब्दों के स्थान पर ''विक्रय करने या क्रय करने या प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने'' शब्द रखे जाएंगे।

(उर्मिला सिंह),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

———————

ए0 सी0 डोगरा,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :

तारीख :.................................

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 6 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARIED BY ROAD) AMENDMENT ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor Himachal Pradesh in the Sixty-first year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Ordinance, 2010.

2. Amendment of Section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (16 of 1999), for the words "selling or causing or authorizing to cause despatch", the words "selling or purchasing or causing or authorizing to cause despatch or receipt" shall be substituted.

(URMILA SINGH)
Governor,
Himachal Pradesh.

A. C. DOGRA,
Secretary (Law).